न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 07/2008

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 नानड़राम पुत्र कालूराम।
1/1 श्रवणी उम्र 65 साल स्त्री नानड़राम।
1/2 परमानन्द आयु 46 साल पुत्र नानड़राम।
1/3 सुभाषचन्द्र आयु 42 साल पुत्र नानड़राम।
1/4 विनोद कुमार आयु 35 साल पुत्र नानड़राम।
1/5 सुरेन्द्र कुमार उम्र 30 साल पुत्र नानड़राम।
1/6 सिलोचना उम्र 39 साल पुत्री नानड़राम।
1/7 सन्तरा उम्र 32 साल पुत्री नानड़राम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण नृसिंहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
2 मृतक भगवान देव पुत्र कालूराम ब्राहम्ण निवासी नृसिंहपुरा दौराने अपील देहान्त।
2/1 रूकमणी देवी उम्र 85 साल पत्नी भगवानदेव जाति ब्राहम्ण निवासी नृसिंहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू नोट दौराने अपील देहान्त हो गया।
2/2 नन्दलाल शर्मा उम्र 64 साल पुत्र भगवानदेव।
2/3 सीताराम शर्मा उम्र 60 साल पुत्र भगवानदेव।
2/3/1 मन्जु देवी उम्र 58 साल स्त्री सीताराम।
2/3/2 वर्षा उम्र 35 साल पुत्री सीताराम।
2/3/3 संदीप उम्र 32 साल पुत्र सीताराम।
2/3/4 किरण उम्र 30 साल पुत्री सीताराम।
2/3/5 गौतम उम्र 28 साल पुत्र सीताराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी नृसिंहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
2/4 वासुदेव उम्र 58 साल पुत्र भगवानदेव।

Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

2/5 धेर्मेश उम्र 52 साल पुत्र भगवानदेव।
2/6 इन्दु उम्र 56 साल पुत्री भगवानदेव।
2/7 अनुसुईया उम्र 54 साल पुत्री भगवानदेव।
3 बनवारीलाल शर्मा पुत्र कालूराम जाति ब्राहम्ण निवासी नृसिंहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू दोराने अपील देहान्त हो गया।
3/1 बालचन्द उम्र 60 साल पुत्र बनवारीलाल।
3/2 सुभाषचन्द्र उम्र 58 साल पु.त्र बनवारीलाल।
3/3 प्रभुदयाल उम्र 55 साल पुत्र बनवारीलाल।
3/4 संतोष उम्र 52 साल पुत्री बनवारीलाल।
3/5 कमल कुमार उम्र 49 साल पुत्र बनवारीलाल।
3/6 मीरा देवी उम्र 63 साल पुत्री बनवारीलाल।
3/7 सारा देवी उम्र 45 साल पुत्री बनवारीलाल।
3/8 रक्षर देवी उम्र 43 साल पुत्री बनवारीलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण नृसिंहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
3/9 शारदा देवी उम्र 63 साल पत्नी बृजमोहन शर्मा।
3/10 नरेश कुमार उम्र 40 साल पुत्र बृजमोहन।
3/11 पंकज कुमार उम्र 37 साल पुत्र बृजमोहन।
3/12 मनोज कुमार उम्र 34 साल पुत्र बृजमोहन।
4 ओमप्रकाश उम्र 60 साल पुत्र गोरधनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नृसिंहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 झाबरराम पुत्र कालूराम उम्र 70 साल जाति मेघवाल निवासी नृसिंहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

[Seal stamp]

2 माफी मन्दिर श्री नृसिंहपुरा महाराज वाके ग्राम नृसिंहपुरा जरिये पुजारी रामावतार पुत्र गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी नृसिंहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
3 आनन्द पुत्र द्वारका प्रसाद उम्र 45 साल जाति ब्राहम्ण निवासी नृसिंहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
4 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ. धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू बइजलास श्री भागचन्द बधाल मु0 नं. 60/07 डनवानी झाबरराम बनाम नानड़राम दावा बाबत घोषणार्थ व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित

1. श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 10-12-18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा वाद संख्या 60/2007 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2008 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में गत खसरा नम्बर 176 हाल खसरा नम्बर 197,198 बाबत, उदघोषणा का वाद पेश किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलांट की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी झाबर ने घोषणा का वाद 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करने हेतु पेश किया विचारण न्यायालय में प्रकरण तामिल में चल रहा था विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम किये बिना, उभयपक्ष के साक्ष्य लिये बिना विचाराधीन निर्णय से भूमि मूर्ति मन्दिर के नाम कर दी। विचारण न्यायालय का यह निर्णय रेवन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के विपरित है अपीलांट ने विचारण न्यायालय में कोई राजीनामा प्रस्तुत नही किया कोई सहमती प्रदान नही की। केवल मात्र आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवाये गये इन से अपीलांट की सहमती अथवा राजीनामा का तथ्य साबित नही होता है विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प. 3(2) राज.–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007, आर.एल.डब्ल्यू. 2006(1) पेज 324, आर.एल.डब्ल्यू. 2007(1) पेज 67 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में राजीनामे के आधार पर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है

Lqrio

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर है राजीनामे की डिक्री की अपील नही होती है मिशल हकीयत/जमाबंदी में विवादित भूमि मन्दिर के नाम है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है विद्वान अधिवक्ता ने अपने समर्थन में मूर्ति मन्दिर बनाम नानड़ राजस्व मण्डल का आदेश 16.11.09, आर.आर.टी. 2015(2) पेज 868, डी.एन.जे. 2018 पेज 80, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 367,373,541, आर.आर.टी. 2011 (1)पेज 9,455, आर.आर.टी. 2009(2) पेज 783,836,1026 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में प्रकरण आदेशिका के अनुसार तलबी एवं जवाब दावे हेतु नियत चल रहा था विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखकर पारित किया है आदेशिका पर वादी एवं प्रतिवादी के हस्ताक्षर करवाये है परन्तु यह हस्ताक्षर उनकी सहमती/राजीनामे के है ऐसा कोई तथ्य हस्ताक्षर के उपर अंकित नही है यह हस्ताक्षर पक्षकारों की उपस्थिति बाबत भी करवाये जा सकते है विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट का कोई राजीनामा, लिखित सहमती पत्रावली पर उपलब्ध नही है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना कर प्रतिवादी अपीलांट का जवाब प्राप्त कर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष के साक्ष्य लेकर विचाराधीन निर्णय पारित नही किया गया है। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का हमने ससम्मान अवलोकन एवं मनन किया अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.एल. डब्ल्यू 2007(1) आर.जे. पेज 67 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "Rajasthan Tenancy Act, 1955,Sec.222,223&228 and C.P.C., Sec. 96(3)- Consent decree- Filing of appeal against consent decree passed by revenue Court- Whether appeal against consent decree maintainable before R.A.A.- Right of appeal is substantive right and is creature of statute- Held- No restriction is Sec.223 that appeal shall not lie from consent decree- Sec. 96(3) not applicable to appeals from decree of Revenue Courts – Appeal maintainable. "

Lamo

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में विचाराधीन निर्णय व डिक्री की अपील पोषणीय है। जहां तक विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर की होने अथवा वादी/प्रतिवादी की होने का प्रश्न है इस बिन्दु का निर्धारण वाद, जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई होना विधि सम्मत होगा। रेवन्यू कोर्ट मेन्यूअल में इसी प्रकार वाद के निस्तारण की प्रक्रिया निर्धारित की हुई है विचारण न्यायालय ने इसकी पालना नही कर तलबी में चल रही पत्रावली में सीधे ही विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी है जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि रेवन्यू कोर्ट मेन्यूअल में निर्धारित विधिक प्रक्रिया की पालना कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.01.2019 को अपनी उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10-12-18 को सरे इजलास सुनाया गया।

10/12/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर